"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 मार्च 2006—फाल्गुन 13, शक 1927

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्‌द्वारा गौण खनिज रेत के व्यवसाय के विनियमन हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-29 की अनुसूची तीन में उल्लेखित निम्नानुसार दरें स्थापित किया जाए :-

2. ये संशोधित दरें तारीख 1 अप्रैल, 2006 से लागू होंगी.

अनुसूची—तीन
(देखिए नियम 29)

रायल्टी की दरें

अनु. क्र. (1)	खनिज (2)	दरें (3)
5	साधारण रेत बजरी	रु. 15 प्रति घन मीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-7/2004/12, दिनांक 2-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd March 2006

NOTIFICATION

No. F-7-7/2004/12.— In exercise of the powers conferred by section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. In schedule III, of Rule 29 the following rates of royalties shall be substituted.

2. It shall come into force from the date of 1st April, 2006.

SCHEDULE—III
(See rule 29).

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
5	Ordinary Sand, bajri	Rs. 15 per cu. m.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 4 सहपठित नियम 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा गौण खनिज रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(एक) इन निर्देशों का संक्षिप्त नाम छ. ग. गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 है.

(दो) ये निर्देश 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—**

इन निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, छ. ग. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 2 में अभिप्रेत परिभाषाएं यथावत् लागू होंगी.

3. कोई भी व्यक्ति छ. ग. राज्य के किसी भी क्षेत्र में, इन निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार ही गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं परिवहन कार्य कर सकेगा. परन्तु इन निर्देशों की कोई भी बात इनके लागू होने के पूर्व प्रदान की गई ऐसी किसी अनुज्ञा, उत्खनन पट्टा, व्यापारिक खदान या स्वामित्व (रायल्टी) खदान को लागू नहीं होगी, जो इन निर्देशों के लागू होने के समय प्रवृत्त थीं.

4. **गौण खनिज रेत के खनन एवं व्यवसाय हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें :—**

(1) संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय जिसके क्षेत्र में रेत खदान स्थित है, को रायल्टी भुगतान कर गौण खनिज रेत का उत्खनन किया जा सकेगा. संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय रायल्टी का संग्रहण तथा रेत खदानों की व्यवस्था स्वत: करेंगी. इस कार्य को ठेके पर देना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा.

(2) रेत की चालू खदानों को जिले के कलेक्टर द्वारा चिन्हित, सीमांकित कर अधिसूचित किया जाएगा तथा उन्हें विशिष्ठ नाम दिया जाएगा, ताकि एक ही क्षेत्र में स्थित एक से अधिक रेत खदानें होने पर उन सभी खदानों को आसानी से पहचान की जा सके. अधिसूचना की एक प्रति कलेक्टर द्वारा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन को भेजी जाएगी.

(3) प्रदेश में स्थित रेत की समस्त वर्तमान खदानें उनसे वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में प्राप्त अनुमानित औसत रायल्टी राशि के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा निम्नानुसार संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के नियंत्रण में दी जाएगी.

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 05 लाख अनुमानित वार्षिक रायल्टी की खदानें संबंधित ग्राम पंचायत के अधीन की जाएगी.

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 05 लाख से अधिक अनुमानित वार्षिक रायल्टी वाली खदानें संबंधित जनपद पंचायत के अधीन की जाएगी.

(ग) किसी नगरीय निकाय की सीमा में स्थित रेत खदान संबंधित नगरीय निकाय के अधीन की जाएंगी.

(4) प्रथम तीन वर्ष के दौरान प्राप्त रायल्टी के आधार पर खदानों को पुन: ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायतों के अधीन राशि करने बाबत आगामी तीन वर्षों के लिए निर्णय किया जाएगा.

(5) कलेक्टर द्वारा अधिसूचित रेत खदानों से कोई भी व्यक्ति, संस्था या ठेकेदार शासन द्वारा अधिसूचित रायल्टी जमा करने पर रेत उठाने एवं उसका परिवहन करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

(6) संबंधित रेत खदान का नियंत्रण रखने वाली ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अभिवहन पास निर्धारित प्रारूप-एक में आवश्यक रायल्टी राशि जमा किये जाने पर जारी किये जायेंगे.

(7) अभिवहन पास की किताबें संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को कलेक्टर कार्यालय से राज्य शासन द्वारा निर्धारित मुद्रण शुल्क जमा करने पर जारी किये जायेंगे. कलेक्टर्स को ये अभिवहन पास उनकी मांग के अनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा मुद्रित कराकर उपलब्ध कराये जायेंगे.

(8) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त रायल्टी की जानकारी संलग्न प्रारूप-दो में प्रतिमाह संबंधित जिले के कलेक्टर को उपलब्ध कराई जायेगी.

(9) संबंधित खदान पर नियंत्रण रखने वाली ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय रेत के सुगम उत्खनन, परिवहन एवं खदान के समुचित रख-रखाव हेतु निम्नलिखित व्यवस्था करेंगी जिस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति खदान से प्राप्त होने वाले रायल्टी की राशि से किया जाएगा :-

(क) मुख्य मार्ग से खदान तक जाने के लिये रैम्प का निर्माण तथा उसका समुचित रख-रखाव एवं मरम्मत कराना.

(ख) खदान स्थल पर अभिवहन पास जारी करने एवं रायल्टी राशि एकत्रित करने की व्यवस्था करना.

(10) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 5 के तहत 'प्रतिबंधित स्थानों-

(क) किसी पुल से 75 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा.

(ख) नदी के किनारों, किसी प्राकृतिक जल स्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली किसी संरचना से 50 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा.

(11) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3 में प्रावधानित निम्नलिखित छूटों का पालन रेत उत्खनन के मामलों में भी करेंगी :-

(क) अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य, या उनकी ऐसी सहकारी सोसायटियां जो परम्परागत साधनों से कवेलू, बर्तन, ईंट बनाती है, को इन उपरोक्त कार्यों हेतु रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी.

(ख) स्वत: के निवास गृह निर्माण, कुओं के निर्माण या मरम्मत या अन्य कृषि कार्य के लिए ग्रामों में रहने वाले कृषक, ग्रामीण कारीगर और मजदूरों को रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी.

(ग) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा स्वत: करायें जाने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी.

5. इन निर्देशों के अंतर्गत किन्हीं बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट न होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधान लागू माने जायेंगे.

6. इन निर्देशों के प्रभावशील होने के दिनांक से रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में तत्समय ऐसे सभी निर्देश जो इन निर्देशों से असंगत हों, स्वमेव निरस्त माने जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

प्रारूप - एक
(देखिए कंडिका - 6)

रेत अभिवहन पास

पास बुक क्रमांक — अभिवहन पास क्रमांक ....

1.	ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	....
2.	खदान का नाम	....
3.	क्रेता का नाम	....
4.	रेत परिवहन कर ले जाने का स्थान	....
5.	वाहन का प्रकार	ट्रैक्टर/ट्रक/डंफर/दस चक्का वाहन
6.	वाहन क्रमांक	....
7.	खदान से रेत भरने का दिनांक	....
8.	खदान से रेत भरने का समय	....
9.	खदान से उठाई गई रेत की मात्रा (घन मीटर में)	....
10.	रायल्टी के रूप में जमा की गई राशि	रु. ....

....

वाहन चालक का हस्ताक्षर
(नाम ....)

अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
(नाम ....)
(पदनाम ....)
(सील)

टिप्पणी :-

(1) उपरोक्त अभिवहन पास में किसी भी प्रकार की कांटछांट होने पर अथवा कालम रिक्त रहने पर उसे मान्य नहीं किया जाएगा तथा इसका उत्तरदायित्व अभिवहन पास धारक का होगा.

(2) अभिवहन पास की मूल प्रति गाड़ी के वाहक ड्रायवर (चालक) को दी जानी चाहिए और कार्बन कापी दूसरी पास बुक जारी करने के लिए प्राधिकारी के पास जमा करने हेतु इसी किताब में रखी जावे.

(3) तारीख तथा समय का न लिखना तथा ऊपरिलेखन करना दण्डनीय होगा.

(4) एक वाहन को प्रत्येक ट्रिप के परिवहन के लिए केवल एक ही अभिवहन पास जारी किया जावेगा.

प्रारूप - दो

(देखिए नियम कंडिका - 8)

गौण खनिज (रेत) की खदान से प्राप्त रायल्टी का मासिक विवरणी

माह .... के लिए

(आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत की जाये)

(1) पंचायत का नाम ....

(2) खदान का नाम व अवस्थिति ....

(क) ग्राम -

(ख) नदी / अमले का नाम -

(ग) तहसील -

प्रति,

(1) कलेक्टर

....

नोट - सभी आंकड़े घनमीटर में दिये जायें.

1. रेत का माह में उत्पादन (घन मीटर में) ....
2. रेत का माह में प्रेषण (घन मीटर में) ....
3. माह के अंत में स्टाक (1-2) ....
4. उपयोग में लाये गये अभिवहन बुक का क्रमांक तथा अभिवहन पास का अनुक्रमांक. ....
5. विक्रय किये गये रेत पर देय कुल रायल्टी रु. ....
6. पंचायत के खाते में जमा की गई कुल राशि का विवरण ....

   प्रविष्टि क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....
7. शेष बकाया (5-6) यदि कोई हो, ...
8. प्रविष्टि क्रमांक 5 तथा 6 में अंतर होने का कारण ....

स्थान ....

दिनांक ....

सचिव

ग्राम/जनपद पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका के हस्ताक्षर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.